उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

फौजदारी अपील संख्या 322 वर्ष 2015

श्री कमिल व अन्य

..... अपीलार्थीगण

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य

..... प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्तागण।

अपीलार्थी संख्या–1 की ओर से अधिवक्ता : श्री एम0सी0 काण्डपाल, वरिष्ट अधिवक्ता
श्री चिरार्थ काण्डपाल

अपीलार्थी संख्या–2 की ओर से अधिवक्ता : श्री एस0आर0एस0 गिल।

प्रतिउत्तरदाता राज्य की ओर से : श्री अमित भट्ट व सुश्री ममता जोशी

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी द्वारा 2015 के सत्र परीक्षण संख्या–05 में फास्ट ट्रेक कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो, रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 04.09.2015 के विरूद्ध दायर की गई है, जिसमें अपीलार्थी ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376डी व 366 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुये, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376डी के अपराध के लिए आजीवन कारावास और मुबलिग 50,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के लिए 10 साल के कठोर कारावास व मुबलिग 25,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

2. अपीलार्थी संख्या–1 कमिल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम0सी0 काण्डपाल एवं अपीलार्थी संख्या–2 गोसुल कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस0आर0एस0 गिल उपस्थित।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पीड़िता द्वारा दिनांक 04.10.2014 को थाना सितारगंज, जिला उधमसिंहनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि दिनांक 03.10.2014 को वह 'दशहरा मेला देखने आई थी। जहां दो लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया। वह अभियुक्तों को जानती है क्योंकि वे उसके गांव के हैं और उनका नाम कामिल और गौसुल कमर है। इसके बाद वह कथन करती है कि कामिल और गौसुल कमर ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके और भाग गए। रिकॉर्ड पर एक रिपोर्ट है, जो दिनांक 05.10.2014 है, जो बताती है कि वह अपनी आंतरिक चिकित्सा परीक्षा के लिए तैयार नहीं है ओर वह

बिना किसी दबाव व बल के ऐसा कहती है। रिकॉर्ड पर अन्य दस्तावेज हैं, जिन पर माता–पिता दोनों के हस्ताक्षर हैं कि उन्हें पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण करने के लिए कहा गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। दिनांक 07.10.2014 जहां उसने कहा कि दिनांक 03.10.2014 को दोपहर 12:00 बजे। वह दशहरा मेला देखने के लिए अपनी दो मौसी ओर अपनी दादी के साथ सितारगंज के रामलीला मैदान में थी। दोपहर करीब 1:00 बजे जब वे मेले से लौट रहे थे। दोपहर में और जब वह पार्टी के बाकी सदस्यों के पीछे चल रही थी, तो उसकापैर फिसलने से वह खाई में गिर गई। तभी चार पांच लड़के जिन्हें वह पहचानती है, उसे बचाने आए, उनमें से दो ने उसे खाई से बाहर निकाला। उन्होंने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं किया। हालांकि इस स्तर पर वह कहती है कि उस समय उसे आभास हुआ कि वे उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। वह स्पष्ट रूप से कहती है कि उनके द्वारा कोई गलत काम नहीं किया गया था और उन्होंने केवल यह किया कि उन्होंने उसे खाई से बाहर निकाला जहां वह गिरी थी।

4. इस बीच प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 व 511 और यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7/8 के तहत आरोप पत्र दायर किया है।

5. यह मानते हुये कि अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 और 511 और 7/8 पोक्सो के तहत था, मामला सत्र के लिए प्रतिबद्ध था। तत्पश्चात् दिनांक 31.01.2015 को विद्वान विशेष सत्र न्यायाधीश उधम सिंह नगर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 सपठित धारा 511 भारतीय दण्ड संहिता और पोक्सो अधिनियक की धारा 7/8 के तहत आरोप विरचित किये गये।

6. हालांकि शुरू में, अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 सपठित धारा 511 और पोक्सों अधिनियम की धारा 7/8 के तहत आरोप तय किये गये, लेकिन उसके बाद आरोपों में संशोधन किया गया और आरोप तय किये गये। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376डी और 366 के तहत और पोक्सो की धारा 5, 6 और 8 के तहत।

7. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला सिद्व करने के लिए आठ गवाहो को परीक्षित किया है।

8. इस मामले में मुख्य गवाह खुद पीड़िता है। पीड़िता की पीडब्ल्यू 1 के रूप में जांच की गई थी, जिस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन पहले हमें अन्य गवाहों के बयानों और जिरह पर विचार करना चाहिए, जो घटना के समय मौजूद थे और जो पीड़िता के करीबी रिश्तेदार हैं। पीड़िता यानी पीडब्लयू 4 और पीडब्ल्यू 5 वे क्रमशः उसकी मौसी और बुआ हैं। दोनों की दुश्मनी हो गई है। अ0सा0 4 ने अपनी जांच–इन चीफ में स्पष्ट रूप से कहा है कि 03.10.2014 को वह 01.00 पूर्वाहन पर वापस नहीं आ रही थी। रात में पीड़िता और अन्य रिश्तेदारों के साथ। अपीलकर्ताओं ने पीड़िता का हाथ

पकडने की कोशिश नहीं की, उसके साथ बलात्कार करने का कोई प्रयास करना तो दूर की बात है। इसी प्रकार का कथन पी0डब्ल्यू0 5 द्वारा भी किया गया था।

9. पी.डब्ल्यू 6 वह डॉक्टर है जिसके सामने पुलिस द्वारा पीड़िता को लाया गया था और चिकित्सा के साथ–साथ परीक्षा में वह निम्नानुसार बताता है–

कि दिनांक 05.10.2024 को वे आपातकालीन डयूटी पर जिला चिकित्सालय रूद्रपुर में कार्यरत थी। पीडिता को उसके सामने लाया गया। उनके साथ उसनी मां भी थी। जब उसने पीड़िता के साथ–साथ उसकी मां से पूछा कि उसके पास पीड़िता की आंतरिक परीक्षा के लिए उनकी अनुमति है, तो मां और बेटी (पीड़िता) दोनों ने आंतरिक जांच कराने से इंकार कर दिया।

10. पी.डब्ल्यू 7 हेड कॉस्टेबल है और पी.डब्ल्यू 8 जांच अधिकारी है। वे औपचारिक गवाह हैं जिन्होंने जांच की।

11. पी.डब्ल्यू–2 पीड़िता की माता है और पी.डब्ल्यू 3 विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं।

12. पी0डब्ल्यू0– 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि वह एक अनपढ़ महिला है और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यानी 03.10.2014 को उसकी बेटी अपनी मौसी के साथ सितारगंज रामलीला मैदान में ''रामलीला मेला'' देखने गयी थी। उसे बाद में उसकी बेटी ने ''मेला'' से लौटने के बाद लगभग 10 बजे बताया। रात में, उनके गांव के दो आरोपियों ने उसे पकड लिया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन जब उसके द्वारा शोर मचाया गया, तो उसकी ''मौसी'' और ''बुआ'' मौके पर पहुंची और उसके बचाने के लिए आई, और परिणामस्वरूप, अभियुक्त (अपीलकर्ता) भाग गए। उसने अपनी जिरह में कहा है कि वह थाने नहीं गई क्योंकि उसका पति वहां गया था। बाद में जब 11.10. 2014 को उन्हें बताया गया कि वास्तव में उनकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं हुआ है तो उन्होंने अपनी बेटी की आंतरिक चिकित्सा जांच की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

13. पी0डब्ल्यू0–3 स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने कहा कि जब पीड़िता को स्कूल में भर्ती किया गया था और पीड़िता की जन्म तिथि का पंजीकरण 10.07.2001 के रूप में दर्ज है। हालांकि गवाह द्व ारा आगे कहा गया कि जन्म की तिथि अन्य दस्तावेजों या चिकित्सा के अधार पर दर्ज नहीं की गई थी वह मात्र माता–पिता या अभिभावकों के कथानानुसार दर्ज की गई थी।

14. इस मामले में पीड़िता की उम्र के बारे में कोई निश्चितता नहीं है, क्योंकि पी0डब्ल्यू0–2 के रूप परीक्षित उसकी मां ने अपनी जिरह में कहा है कि उसकी शादी 19 साल पहले हुयी थी और पहला बच्चा यानी पीड़िता शादी के तुरंत दो साल पैदा हुयी। पीड़िता उसकी सबसे बड़ी संतान है। इस बयान के अनुसार पीड़िता की उम्र 17 साल होगी।

15. अब हम मुख्य गवाह अर्थात पी0डब्ल्यू0–1 पीड़िता पर आते हैं। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला

उसके मुख्य पूछताछ और जिरह पर है। जिसमें उसने कहा है कि उसका जन्म 10.07.2021 को हुआ था और दिनांक 03.10.2014 को दोपहर करीब 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच वह रामलीला मेले से बुआ, जीजा, दीदी और अन्य बच्चों के साथ आ रही थी। वह सभी के पीछे–पीछे चल रही थी औश्र अचानक उसका पैर फिसला और वह खाई में जा गिरी। फिर दोनों अभियुक्तों ने उसे खाई से खींच लिया और उसके बाद उसके शारीरिक रूप से उठाकर एक स्थान पर ले गये, जहां बहुत सारे पेड़ थे। आगे कथन किया कि आरोपी और उसके सदस्यों नेउसके पिता को भी धमकी दी थी और उन्होंने उसके पिता को पैसे देने से भी इंकार कर दिया था। जब उससे पूछा गिया कि उसके द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अलग बयान क्यों दिया, तो उसके द्वारा कहा गया कि वह व उसका परिवार दबाव में था और इसी वजह से मेडिकल जांच से भी इंकार कर दिया था। साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया कि वे रात के करीब 11 बजे मेला देखने गये थे, जो उसने पहले कहा था। वह यह भी कहती है कि उन्होंने 'रावण' को जलते हुये नहीं देखा था, यह इंगित करने के लिए कि यह रात का समय था, जब वे वास्तव में मेरे से लौट रहे थे। उस दिन, जब कथित रूप से घटना घटित हुये, विजय दशमी थी, जब रावत का पुतला जलाया जाता है। जिरह में उसने कहा कि उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई थी। जिरह में बहुत सारी विसंगतियां और विरोधाभास है, घ ाटना के समय ही नहीं बल्कि बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी तथा मेडिकल परीक्षण से इंकार करना आदि। अब पीड़िता द्वारा कथन किया गया है कि उसके परिवार को धमकी दी गई थी, जिस कारण से उसने बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अलग बयान दिया एवं इसी कारण से उसने मेडिकल परीक्षण के लिए इंकार किया। जबकि पूर्व में उसके द्वारा बयान किया गया था दोपहर करीब 12 बजे वह मेले में आई थी और अब वह कहती है कि घटना रात की है। घ ाटना बैरियर पोस्ट की है, जो बाद में एक ऐसा स्थान बन गया जहां लेकप्रिय पेड़ थे। अब तक अदालत में उसके बयान केवल अपीलार्थी द्वारा किए गऐ बलात्कार के प्रयास के रूप मे थे, लेकिनउसके बाद अदालत ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुये, उससे सवाल व सूझाव पूछे कि क्या वह अपनी माता और पिता की अनुपस्थिति में बयान देना चाहेगी और वह उसके लिए सहमत हो गई और उसकी माता को अदालत कक्ष से ले जाया गया। फिर वह कहती है कि घटना के दिन उसके साथ अभियुक्त ने बलात्कार किया था और इस तथ्य का खुलासा नहीं किया जाना था क्योंकि उस समय तक उसकी शादी हो चुकी थी। वह कहती है कि जब वह केवल 8 से 9 वर्ष की थी उसकी शादी हो गई थी, लेकिन गौना अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए अपने ससुरालवालों से छुपाने के लिए इस घटना को अलग रंग दिया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए इस साक्ष्य के आधार पर, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में बलात्कार किया गया

है और दोनों आरोपियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 और 376डी के साथ–साथ पोक्सों की धारा 6 व 8 के तहत दोषी ठहराया गया है। आरोपी/अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376डी के तहत अपराधों के लिए आजीवन कठोर कारावास व मुबलिग 50,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अपराध के लिए 10 साल के कठोर कारावास व मुबलिग 25,000/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

16. एक मात्र सवाल यह है कि क्या सबूतों के आधार पर जो अदालत के पास थे, दण्डित किया जाना संभव है ?

17. यह वास्तव में सत्य है कि साक्ष्य को तौला जाता है और गिना नहीं जाता। यहां तक कि एक सबूत भी सजा के लिए पर्याप्त है, यह उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर करता है, खासकर बलात्कार के मामले में।

18. बलात्कार के मामले में पीड़िता की गवाही फिर से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसकी गवाही एक चोटिल गवाह की तरह है और दोषसिद्धि केवल पीड़िता के साक्ष्य के बल पर आधारित हो सकती है।

19. इस मामले में, हालांकि हमने देखा है कि अन्य चक्षुदर्शी साक्ष्य जो पीड़िता के करीबी रिस्तेदार थे, यानी पी0डब्ल्यू0–4 बुआ, पी0डब्ल्यू0–5 मौसी पक्षद्रोही घोषित हुएं हैं। पीड़िता के पिता वास्तव में बचाव पक्ष के बवाह के रूप में बदल गये है और उनके पक्ष में बयान दिये हैं। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि उन्होंने बचपन में अपनी बेटी की शादी की थी व रेप की घटना से भी इंकार किया। पीड़िता ने स्वंय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बलात्कार के बारे में नहीं बताया। प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 511 सपठित धारा 376 के अपराधों का खुलासा करती है, जहां यह संकेत दिया गया था कि बलात्कार का प्रयास किया गया। इसके बाद धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अपने बयान में वह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहती। वास्तव में वह केवल इतना ही कहती है कि आरोपी व्यक्तियों ने उसके खाई से बाहर निकाला और कुछ नहीं किया। न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा दिये गये बयानो में, विशेष रूप से अदालत द्वारा खुद जांच किए जाने पर, वह एक अलग कहानी देती है। वह बताती है कि असल में रेप हुआ है लेकिन इसके आगे कुछ नहीं कहती। प्रथम सूचना रिपोर्ट और धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गऐ बयान और उसके बाद मुख्य परीक्षा और जिरह से पीड़िता का रवैया आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है। यह सच है कि दोषसिद्धि पीड़िता की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है, क्योंकि यह कानून की स्थापित स्थिति है, लेकिन ऐसे मामलों में इस एकमात्र साक्ष्य को बहुत सख्त सबूत के रूप में रखा जाना चाहिए।

20. इस मामले में पीड़िता के बयान आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है और हम इस विचार के

है कि केवल पी0डब्ल्यू0–1 के साक्ष्य के आधार पर, बलात्कार की सजा संभव नहीं थी। इसलिए अपील स्वीकार की जाती है और 2015 के सत्र परीक्षण संख्या–05 में फास्ट ट्रेक कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो, रूद्रपुर जिला ऊधमसिंहनगर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 04.09.2015 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण को उन पर आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण जेल में हैं। अपीलार्थीगण को तत्काल जेल से रिहा किया जाये, यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित न हो।

21. इस फैसले की एक प्रति बाद आवश्यक कार्यवाही अवर न्यायालय को प्रेषित की जाये।

(रविन्द्र मैठानी, न्यायाधीश) **(सुधांषु धूलिया, न्यायाधीश)**

दिनांक 04.12.2018